न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 2021/117 भीलवाड़ा

श्री राजकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जैन, निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
दिंनाक 03–06–2021

————

उपस्थितः 1– श्री हसन खांन अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक :– 20–02–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम मानपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा का निवासी है अपीलार्थी ने आत्म सुरक्षार्थ 1 नाल 12 बोर बन्दूक जिसका लाईसेंस नम्बर 92/91 जो दिनांक 31–12–2018 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण कराने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उन्होंने थानाधिकारी व वृत्ताधिकारी व पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना माण्डलगढ में प्रकरण संख्या 117/2018 अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 452, 427 आईपीसी में जैरकार होना वर्णित करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की गई । उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला

मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 03–06–2021 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आत्म सुरक्षार्थ उक्त हथियार का नवीनीकरण आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में उक्त हथियार का किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं होने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होने तथा शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं होना वर्णित करते हुए अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसके विपरीत दिनांक 15–4–2021 को प्रकरण संख्या 117/18 दर्ज हो जैर ट्रायल है, वर्णित करते हुए नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है रिपोर्ट प्रेषित कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना न्यायोचित था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना माण्डलगढ में मुकदमा संख्या 117/18 अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 452, 427 भा.द.स. में प्रकरण दर्ज होकर जैर तफ्तीश होना अंकित करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा कर दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 3–6–2021 द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं कर अनुज्ञापत्र को निलम्बित किये जाने के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट अंकित की गई थी। अपीलार्थी के विरूद्ध धोखाधड़ी कर प्रकरण दर्ज करवाया है जो राजनैतिक द्वेषतावश अपीलार्थी का नाम फौजदारी प्रकरण संख्या 117/18 दर्ज कराये जाने के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने हेतु आवेदन को निरस्त कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बन किये जाने में कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 17(1) के आदेशात्मक विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर अनुज्ञा पत्र निलबित कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित तहसीलदार, माण्डलगढ, उप वन संरक्षक, भीलवाडा, जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थी का आचरण व्यवहार ठीक होना बताया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होने तथा अपीलार्थी के

विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं होने का कथन किया है। अपीलार्थी के पिता के नाम से उक्त अनुज्ञा पत्र जारी रहा है। जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) के तहत प्रदर्श शक्तियों का बिना अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों का अवलोकन किये आक्षेपित आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–06–2021 निरस्त कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र नवीनीकरण आर्म्स अनुज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना माण्डलगढ में प्रकरण संख्या 117/2018 अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 452, 427 आईपीसी में जैरकार है। जहां अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा चल रहा है वहां लाईसेंस नवीनीकरण नहीं हो सकता है। अपीलार्थी को जिन मुकदमों में बरी किया गया है उसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। पुलिस ने तफ्तीश करके चालान पेश किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध दो आपराधिक मुकदमें विचाराधीन है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 3–6–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि है अपीलार्थी ने आत्म सुरक्षार्थ 1 नाल 12 बोर बन्दूक जिसका लाईसेंस नम्बर 92/91 जो दिनांक 31–12–2018 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण कराने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के संबंध में रिपोर्ट चाही गई तो जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना माण्डलगढ में प्रकरण संख्या 117/2018 अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 452, 427 आईपीसी में जैर ट्रायल है तथा कुछ प्रकरणों में अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है किन्तु दोषमुक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये केवल पुलिस की रिपोर्ट में दोष मुक्त का अंकन है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है की अपीलार्थी द्वारा हथियार का लाईसेंस नवीनीकरण अपनी आत्म सुरक्षार्थ चाहा गया है अपीलार्थी को किसी व्यक्ति विशेष से जान का खतरा है या किसी ने अपीलार्थी पर हमला किया है, के संबंध में किसी भी थाने में अपीलार्थी को जान का खतरा होने के संबंध में कोई रिपोर्ट लिखवाई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है एवं न ही अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान ही कोई दस्तावेज पेश किया है कि अपीलार्थी को किसी व्यक्ति विशेष से जान का खतरा होने के कारण हथियार की आवश्यकता है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र एक 12 बोर एसबीबीएल बन्दूक नम्बर 2107 हेतु जारी आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/92/91 को निलंबित कर अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र एक 12 बोर एसबीबीएल बन्दुक नम्बर 2107 को थाना माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में जमा कराने के आदेश प्रदान किये है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक न्याय/ आदेश/ 2021/23355 दिनांक 03–06–2021 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर